

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत : उपखण्ड अधिकारी

मुकाम : रावतभाटा

श्रीमती रीति

बनाम

श्रीमती रीति रावतभाटा



सं. मुकदमा

तक

नं०

56

सन् 2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इसमें जारी हुए
	<p>12 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्षकारान् उपरिधत्त 2024 पेशकार सरकार द्वारा जवाब प्रस्तुत करने हेतु अवसर चाहा गया जो दिया जाता है। पत्रावली वास्ते जवाब पेशकार सरकार दिनांक 22/01/2025 को पेश हो।  S.D.O</p> <p>22/01/2025 पत्रावली पेश हुई। वादी तथा वकील वादी न्यायालय में अनुपस्थित। वादी तथा वकील वादी को न्यायालय द्वारा न्यायालय समय में तीन बार अलग-अलग समय पर आवाज लगावाई गई बावजूद वादी तथा वकील वादी न्यायालय में अनुपस्थित। अतः न्यायालय में प्रकरण में वादी की ओर से पेश की हेतु उपस्थित नहीं होने से वाद-पत्र इसी स्तर पर अदम हाजिरी अदम पेशी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फौजदारी शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम की जाकर शामिल दफ्तर हो। </p> <p>उपखण्ड अधिकारी रावतभाटा (चित्तौड़गढ़)</p>	